न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील /28/2024

घूरे पुत्र रतनी जाति गडरिया निवासी बरसो तहसील व जिला भरतपुर, राज0
............**अपीलार्थी**

बनाम

राजस्थान सरकार तामील जरिये राजकीय अभिभाषक भरतपुर
........**रेस्पो0**

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश नायव तहसीलदार(द्वितीय)भरतपुर दिनांक 08.07.2024 व मुकदमे राज0 सरकार बनाम घूरे,धारा 91 एल.आर.एक्ट।

उपस्थितः–

1– श्री प्रमोद उपमन,अभिभाषक अपीलान्ट,

2– पैरोकार सरकार रेस्पो0

दिनांक 12.02.2025

निर्णय

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो0 वखिलाफ आदेश नायव तहसीलदार (द्वितीय) भरतपुर दिनांक 08.07.2024 के पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश में अतिक्रमी अपीलान्ट को विवादित आराजी खसरा नम्बर 09/0.45 है0 गै.मु.रास्ता में से, 0.01 है0 रकवा पर किये गये अतिक्रमण से बेदखल करने एवं पैनल्टी कायम कायम किये जाने की आज्ञा दी गई है। अपीलाधीन आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को नोटिस जारी किये गये। तहत पत्रावली नामान्तकरण तलव की गई। तहसीलदार भरतपुर से प्राप्त तहत पत्रावली नत्थीवद्य की गई। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभापक अपीलान्ट ने अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि विवादित आराजी पर अपीलान्ट का कोई कब्जा नहीं है। आवासीय मकान प्रार्थी की स्वयं की आराजी पर निर्मित है, निर्माण के दौरान निर्माण सामग्री रखी थी, निर्माण होते ही समाप्त हो गई है। रास्ता मौके पर चालू है। योग्य अभिभापक अपीलान्ट का यह भी कथन है कि तहत न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया गया है। नोटिस की भी विधिवत तामिल नहीं कराई गई है। अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

जिला कलक्टर
भरतपुर

.......2

पैरोकार सरकार का कहना है कि अपीलान्ट ने विवादित आराजी गैर मुमकिन रास्ते पर निर्माण कर अतिक्रमण किया है। तहत न्यायालय ने विधिवत कार्यवाही करते हुये अपीलाधीन आदेश सही पारित किया है। अपील खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया । तहत पत्रावली का अध्ययन किया गया। तहत पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं रिपोर्ट पटवारी / गिर्दावर से स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 09 / 0.45 गैर मुमकिन रास्ते की जमीन में से 0.01 है0 पर निर्माण कर अतिक्रमण किया है। तहत न्यायालय ने विधिवत कार्यवाही करते हुये धारा 91 एलआर एक्ट का नोटिस जारी किया गया है जो अपीलान्ट पर तामील होकर तहत पत्रावली में शामिल मिसिल है। विवादित आराजी गैर मुमकिन रास्ता है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में प्रतिवन्धित श्रेणी में आती है ऐसी भूमियों को ना तो आंबटन किया जा सकता है और नाहीं नियमन, किया जा सकता है। जैसा कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय में प्रतिपादित किया है कि :—

L. RS. OF ROOP NARAIN V. STATE OF RAJ. - (186) Revision No. 101/Alwar of 86, decided on 15th June, 1992.

(A) Rajasthan Tenancy Act, Section 16 - Land under gair mumkin Rasta is land held for a public purpose - No khatedari rights can accrue thereon. (Para 7)

(B) Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules, 1970, Rules 4 & 20 - Land under gair mumkin rasta can neither be regularised nor can khatedari rights accru thereon irrespective of the duration of trespass. (Para 7)

नायव तहसीलदार(द्वितीय) भरतपुर ने अतिक्रमी अपीलान्ट के खिलाफ विधिवत कार्यवाही करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जिसमें हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं। अस्तु अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

अतः आदेश है कि :—

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय प्रति के साथ तहत पत्रावली तहसीलदार भरतपुर को वापिस लोटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 12.02.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
भरतपुर